न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 06 / 2016 (75 एल. आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2016 / 00194

उनवान

सीताराम पुत्र बलवंत उम्र 70 वर्ष जाति ठाकुर निवासी पोहप नगर तहसील बाडी जिला धौलपुर वर्तमान पता 204 सरस्वती नगर विश्वविद्यालय मार्ग ग्वालियर (म0प्र0)

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर जिला धौलपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, धौलपुर दिनांक 28.06.1993।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश चन्द श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक–20.11.2018

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील, अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत, अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के आदेश दिनांक 28.06.1993 के विरूद्ध इन कथनो के साथ पेश की गयी है कि अपीलाण्ट को दिनांक 23.05.1989 को आराजी खसरा नम्बर 64 में से रकबा 06 बीघा 13 विस्वा स्थित ग्राम पोहपनगर तहसील बाडी जिला धौलपुर का आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन हुआ था। आवंटन की तिथी से अपीलार्थी आज तक विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है एवं राजस्व रिकार्ड में आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को इन्तकाल नम्बर 197 के द्वारा दिनांक 17.05.1990 को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं इसके बाद इन्तकाल नम्बर 584 दिनांक 14.08.2014 से गैर खातेदारी समाप्त करते हुए, खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना जरिये रिव्यू प्रकरण संख्या 01 / 2016 तारीख 12.02.2016 से अपीलाण्ट के पक्ष में हुये नामान्तकरण संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

584 द्वारा जो गैर खातेदारी से खातेदारी दी गयी थी उसे निरस्त कर पुनः राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट के पक्ष में हुई आवंटित भूमि को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 28.06.1993 का हवाला देते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में हुए आवंटित रकवा पर अपीलाण्ट के गैर खातेदारी इन्द्राजों को समाप्त कर विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में पुनः सिवायचक अंकित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.1993 एवं 12.02.2016 विधिक प्रावधानो के विपरीत पारित किये गये हैं, जो लायक खारिजी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण एस0डी0एम धौलपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर सो मोटो दर्ज किया गया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जॉच किस आधार पर की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण 14(4) आवंटन नियम 1970 बाबत् अपीलाण्ट को विधिवत सूचित नहीं किया गया था ना ही प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा पारित रिव्यू प्रकरण में अपीलाण्ट को कोई सूचना ही दी गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर आदिनांक तक काबिज काश्त चला आ रहा है एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलाण्ट द्वारा आवंटन नियम की समस्त शर्तो की पालना किये जाने के पश्चात् विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इसके बाबजूद प्रस्तर्थी संख्या 02 ने मनमाने ढंग से कानून को ताक में रखते हुए अपीलाण्ट की बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलाण्ट के हितो पर कुठाराघात किया है तथा अपने पद का दुरूपयोग किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1989 पेज 589, 1990 पेज 283, 1994 पेज 335, 1996 पेज 514, 1999 पेज 149, ए0आई0सी0 2011(108) पेज 441, 2011(99) पेज 306 का हवाला देते हुए, अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाण्ट का आवंटन, आवंटन कमेटी का कोरम 03 सदस्यो से पूर्ण होना नहीं पाया जाकर, सही खारिज किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.1993 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 09.05.2016 को लगभग 23 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश करने बाबत् कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा आदेश दिनांक 28.06.1993 द्वारा अपीलाण्ट का आवंटन, आवंटन नियम 13(13 ए) के तहत आवंटन कमेटी का कोरम पूरा ना होने के कारण आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने एवं कब्जे राज लिये जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया था। परन्तु उक्त आदेश की पालना किन्हीं कारणो से तत्समय नहीं होने के कारण आवंटी अपीलाण्ट का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में लगातार बने रहे हैं। तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश संज्ञान में आने पर रिव्यू प्रकरण दर्ज कर आवंटी अपीलाण्ट के नामान्तकरण खारिज करते हुये, विवादित आराजी को पुनः सिवायचक घोषित किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.1993 आंवटी अपीलाण्ट को सुना जाकर उनकी उपस्थिति में पारित हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश को अब 23 वर्ष बाद चुनौती देना तर्कसंगत नहीं है। हमारी दृष्टि में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधि संगत निर्णय पारित किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे काश्त बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी आदि पेश नहीं की गयी हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. जहॉ तक तहसीलदार के रिव्यू प्रकरण आदेश दिनांक 12.02.2016 बाबत् अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर, विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने का प्रश्न है। उक्त आदेश नामान्तकरण निरस्त करने बाबत् है। हस्तगत अपील के माध्यम से तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 12.02.2016 को चुनौती नहीं दी सकती है। अपीलाण्ट नामान्तकरण निरस्त करने बाबत् आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के आदेश दिनांक 28.06.1993 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर